भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1475

जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है

कोयले के आयात में वृद्धि

1475. श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कोयले के आयात में 8 प्रतिशत की वृद्धि को किस प्रकार देखती है;

(ख) क्या इसका यह अर्थ नहीं है कि कोयले के आयात में इस प्रकार की वृद्धि देश के शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाएगी, जैसा कि सरकार द्वारा सीओपी26 में वादा किया गया था;

(ग) क्या आयात में यह वृद्धि इस तथ्य के बावजूद है कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में देश का घरेलू कोयला उत्पादन 6 प्रतिशत बढ़ा है; और

(घ) सरकार देश में कोयले के आयात और उपयोग को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

कोयला एवं खान मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : मौजूदा वर्ष की पहली छमाही अर्थात् अप्रैल, 24 से सितंबर, 24 के दौरान कोयले का कुल आयात 129.52 मि.ट. था, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 127.78 मि.ट. की तुलना में 1.36% की वृद्धि दर्शाता है।

(ख) : देश में कोयले की मांग का लगभग 20-25% आयात से पूरा किया जाता है। कोयले के आयात में मुख्य रूप से कोकिंग कोल और उच्चतर गैर-कोकिंग ग्रेड के कोयले जैसे आवश्यक आयात शामिल होते हैं क्योंकि इनका घरेलू उत्पादन या तो दुर्लभ भंडारों अथवा अनुपलब्धता के कारण सीमित होता है।

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का जोर कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा देश में कोयले

के गैर-जरूरी आयात को समाप्त करने पर है। देश में कोयले की अधिकांश आवश्यकता स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से पूरी की जाती है। मौजूदा आयात नीति के अनुसार कोयले को खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंतर्गत रखा जाता है और उपभोक्ता लागू शुल्क का भुगतान करके अपने संविदागत मूल्यों के अनुसार अपनी पसंद के स्रोत से कोयले का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

सीओपी26 के दौरान पंचामृत घोषणा के माध्यम से, भारत ने वर्ष 2030 तक 500 गी.वा. की गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने और वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की है। 'ग्लासगो जलवायु समझौता' के अनुरूप, जबकि भारत स्वच्छ ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध है; भारत में स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर अंतरण की गति को राष्ट्रीय परिस्थितियों और साझा लेकिन अलग-अलग उत्तरदायित्व और संबंधित क्षमताओं, जलवायु वित्त और कम लागत वाली जलवायु प्रौद्योगिकियों की ओर अंतरण के सिद्धांत के आलोक में देखा जाना चाहिए।

पर्याप्त भंडार के साथ ऊर्जा का एक वहनीय स्त्रोत होने के कारण निकट भविष्य में कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत बना रहेगा। इस प्रकार, अब की स्थिति के अनुसार कोयले से पारगमन की कोई स्थिति नहीं है जिससे कोयले पर निर्भर लोग प्रभावित होंगे।

(ग) : अगले कुछ वर्षों में घरेलू कोयला उत्पादन प्रति वर्ष 6-7% तक बढ़कर वर्ष 2029-30 में लगभग 1.5 बिलियन टन तक पहुंचने की संभावना है। चालू वर्ष 2024-25 में, अप्रैल 2024 से सितंबर 2024 के दौरान, कोयला उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 428.37 मि.ट. के मुकाबले 452.94 मि.ट. था, जो 5.7% की वृद्धि को दर्शाता है।

(घ) : सरकार ने आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और कोयले के आयात को कम करने हेतु देश में घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। शुरू की गई कुछ प्रमुख पहलों में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, कैप्टिव खानों को अन्त्य उपयोग संयंत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के बाद अपने वार्षिक उत्पादन का 50% तक बेचने की अनुमति देने हेतु खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 में संशोधन करना, एमडीओ मोड के जरिए उत्पादन, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकियों के उपयोग में वृद्धि, नई परियोजनाएं और मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार और वाणिज्यिक खनन के लिए निजी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कोयला ब्लॉकों की नीलामी करना शामिल हैं। वाणिज्यिक खनन के लिए 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की भी अनुमति दी गई है।

I. उपर्युक्त के अलावा, कोयला कंपनियों ने घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं-

i. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए अनेक उपाय अपनाए है। अपनी भूमिगत (यूजी) खानों में, जहां भी व्यवहार्य हो, सीआईएल मुख्य रूप से सतत खनिकों (सीएम) के साथ मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज (एमपीटी) को अपना रही है। सीआईएल ने परिव्यक्त/समाप्त कर दी गई खानों की उपलब्धता को देखते हुए हाईवॉल (एचडब्ल्यू) खानों की भी योजना बनाई है। सीआईएल, जहां भी व्यवहार्य हो, उच्च क्षमता वाली यूजी खानों की योजना बना रही है। अपनी ओपनकॉस्ट (ओसी) खानों में, सीआईएल के पास पहले से ही अपने उच्च क्षमता वाले एक्सकेवेटर, डंपर और सरफेस माइनर्स में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

ii. नई परियोजनाओं को स्थापित करने तथा मौजूदा परियोजनाओं के प्रचालन के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) द्वारा नियमित रूप से संपर्क किया जा रहा है। एससीसीएल ने कोयले की निकासी के लिए सीएचपी, क्रशर, मोबाइल क्रशर, प्री-वे बिन्स आदि जैसी अवसंरचना विकासित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

II. कोयला आयातों को प्रतिस्थापित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए है:

i. उन मामलों में जहां एसीक्यू को या तो मानक आवश्यकता के 90% (गैर-तटीय) तक कम कर दिया गया था या जहां एसीक्यू को मानक आवश्यकता के 70% (तटीय विद्युत संयंत्र) तक कम कर दिया गया था, वहां वार्षिक संविदात्मक मात्रा (एसीक्यू) को मानक आवश्यकता के 100% तक बढ़ा दिया गया है। एसीक्यू में वृद्धि के परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की अधिक आपूर्ति होगी, जिससे आयात निर्भरता कम हो जाएगी।

ii. शक्ति नीति के पैरा ख (viii) (क) के प्रावधानों के अंतर्गत, पावर एक्सचेंजों के माध्यम से उस लिंकेज के माध्यम से उत्पादित विद्युत की बिक्री हेतु अल्पावधि के लिए या दीप पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में कोयला लिंकेज प्रदान किया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2020 में शुरू की गई एनआरएस लिंकेज नीलामी नीति में संशोधन के साथ, एनआरएस लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि को 30 वर्ष तक की अवधि के लिए संशोधित किया गया है। शक्ति नीति के संशोधित प्रावधानों के तहत विद्युत संयंत्रों को अल्पावधि के लिए पेश किए गए कोयले के साथ-साथ गैर-विनियमित क्षेत्र लिंकेज नीलामी में कोकिंग कोल लिंकेज की अवधि में 30 वर्ष तक की अवधि के लिए वृद्धि से कोयला आयात प्रतिस्थापन में सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है।

iii. सरकार ने वर्ष 2022 में निर्णय लिया है कि विद्युत क्षेत्र के सभी मौजूदा लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के लिए ट्रिगर स्तर तथा वार्षिक संविदात्मक मात्रा स्तर की परवाह किए बिना कोयला कंपनियों द्वारा कोयला उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत क्षेत्र के लिंकेज धारकों की पूर्ण पीपीए आवश्यकता को पूरा करने के सरकार के निर्णय से आयातों पर निर्भरता कम होगी।

iv. कोयला आयात प्रतिस्थापन के उद्देश्य से दिनांक 29.05.2020 को कोयला मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है। विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, पोत परिवहन मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), कोयला कंपनियां और बंदरगाह के प्रतिनिधि इस आईएमसी के सदस्य हैं। अब तक आईएमसी की 11 बैठकें हो चुकी हैं। आईएमसी के निर्देशों पर, कोयला मंत्रालय द्वारा एक आयात डेटा प्रणाली विकसित की गई है ताकि मंत्रालय कोयले के आयात को ट्रैक कर सके। कोयले की अधिक घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए गए है। इस प्रकार, संपूर्ण प्रतिस्थापनयोग्य आयातित कोयला देश द्वारा पूरा किया जाएगा और अत्यंत आवश्यक आयात के अलावा कोई आयात नही होगा। कोयला आयात प्रतिस्थापन के भविष्य रोडमैप पर ध्यान देते हुए कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला आयात प्रतिस्थापन पर एक कार्यनीतिक पेपर शुरू किया गया है।

v. सरकार ने गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी के तहत एक नए उप-क्षेत्र के निर्माण को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम 'वाशरी डेवलपर और ऑपरेटर (डब्ल्यूडीओ) मार्ग के माध्यम से कोकिंग कोल का उपयोग करने वाला स्टील' है। संविदा की पूरी अवधि के लिए चिन्हित की गई खानों से इस्पात क्षेत्र को दीर्घकालिक कोयला लिंकेज के आश्वासन के साथ नए उप-क्षेत्र के सृजन से देश में वाश्ड कोकिंग कोल की उपलब्धता बढ़ेगी और देश में इस्पात उद्योग द्वारा घरेलू कोकिंग कोल की खपत बढ़ेगी, जिससे कोकिंग कोल के आयात में कमी आएगी।

****